कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर म.प्र.

संशोधित सूचना

क्रमांक 601 /एक–23–01/17 जबलपुर, दिनांक–22 मार्च 2017

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 578 जबलपुर दिनांक 23.02.17, सूचना क्रमांक 519 दिनांक 03.03.17 एवं सूचना क्रमांक 5 दिनांक 9.3.17 के अनुक्रम में म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्यविभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 2951/21–ब(दो)/2016 भोपाल दिनांक 28.11.16 द्वारा इस न्यायिक जिला स्थापना हेतु निम्नलिखित रिक्त 25 नवीन पदों पर नियुक्ति हेतु आर्हताधारी इच्छुक स्थानीय अधिवक्ताओं से मेमोरियल आमंत्रित किए जाते हैः–

क्रमांक	जिला	तहसील	नवीन आबंटन
1	जबलपुर	–	10
2	–	सिहोरा	04
3		पाटन	03
4		मझौली	03
5		कुण्डम	01
6		शहपुरा	01
7		कटंगी	01
8		पनागर	02
		कुल पद	**25**

नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक आर्हताएं

कोई भी नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक कि ऐसी नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि परः–

(क)– व्यक्ति ने न्यूनतम 10 वर्षों तक अभ्यास नहीं किया हो, या

(कक)– अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित व्यक्ति ने न्यूनतम सात वर्षो तक अभ्यास नहीं किया हो, या

(कख)– महिला, जिसने विधिक व्यवसायी के रूप में न्यूनतम सात वर्षों तक अभ्यास नहीं किया हो, या

(ख)– वह केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं हो, या

(ग)– वह न्यूनतम दस वर्षो तक–

(i) न्यायिक सेवा का सदस्य नहीं हो, या

(ii) अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात् विधि की विशेष जानकारी रखने वाले केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारित नहीं किया हो, या

(iii) न्यायाधीश महाअधिवक्ता के विभाग में या आयुध बलों के विधिक विभाग में पद धारित किया हो।

<u>अन्य शर्तें</u>

1. जिला/तहसील का स्थानीय निवासी होना चाहिये (प्रमाण पत्र संलग्न करें।) शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।
2. मेमोरियल्स नोटरी नियम–1956 के नियम–4(3) के प्रावधानों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट, राष्टीयकृत बैंक का प्रबंधक, वणिक और ऐसे स्थानीय क्षेत्र के दो प्रमुख निवासी जिसमें आवेदक नोटरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है, के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर अभिप्रमाणित होना आवश्यक है।
3. विलम्ब से प्राप्त एवं अपूर्ण मेमोरियल ग्राह्यय नहीं किये जायेंगे।
4. पेपरलैस स्कीम के क्रियान्वयन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फार्म पर ई–मेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर अंकित करावें।
5. मेमोरियल कार्यालय आवक–जावक शाखा जबलपुर में दिनांक 07.04.17 के 5:30 बजे तक प्राप्त किये जावेंगें।
6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ जबलपुर, सिहोरा एवं पाटन, यदि उन्हें नोटरी नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हो तो वह एकत्रित कर संशोधित दिनांक 07.04.17 के 5:30 बजे तक कार्यालय प्रेषित करेगें।

22.3.17

के.के. त्रिपाठी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर

पृष्ठां.क्रमांक– /एक–23–1/17 जबलपुर दिनांक– .03.17

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
   कृपया तत्संबंधी सूचना से समस्त अधिवक्तागण को अवगत कराने का कष्ट करें तथा संघ के नोटिस बोर्ड पर प्रति चस्पा करावे।
2. अनुविभाग अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार पाटन, मझौली, कुण्डम, शहपुरा, कटंगी, पनागर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह वांछित सूचना अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावेगें।
3. कार्यालय, आवक–जावक शाखा, लिपिक, जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित कि वह दिनांक 07.04.17 के 5:30 बजे तक नोटरी नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त कर एकजाई आवेदन पत्र कार्यालय यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगें।

22.3.17

के.के. त्रिपाठी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर